न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील नम्बर 427/20 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00452)

1. मैसर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड एन.एफ./0/2, नेहरू प्लेस टोंक रोड जयपुर जरिये डी.डी. माहेश्वरी वरिष्ठ प्रबन्धक ।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जिला वृत, जल भवन, जयपुर

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 23ए राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस अधिनियम 1952 एज एमेन्डेड विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वसूली) जयपुर दिनांक 15.06.2016 जो प्रकरण संख्या 2/2008–09 उनवानी जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जिला वृत जयपुर बनाम मैसर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड में पीटीशन डिनाईंग लाईबिलिटी अन्तर्गत धारा 8 पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी अधिनियम 1952 को निरस्त कर 7,32,396/– रूपये की वसूली का आदेश दिया गया।

उपस्थित–

1. श्री सुनिल जैन, वकील अपीलान्ट
2. रेस्पो. नं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक –30.01.24

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर वसूली, जयपुर के निर्णय दिनांक 15.06.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. अपील का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय अपर कलेक्टर (वसूली), जयपुर के द्वारा जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग जिला वृत, जयपुर (जिसे आगे विभाग कहा जायेगा) द्वारा पिटीशनर के विरूद्व बकाया राशि 7,23,396/– रूपये की वसूली हेतु पी.डी.आर एक्ट की धारा 3 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर पीडीआर एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही करने हेतु दिनांक 04.07.08 को भिजवाया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रमाण पत्र की नियमानुसार प्राथमिक जांच करने पर पिटीशनर के विरूद्व इकरारनामा दिनांक 04.12.2000 की अनुपालना नहीं होने की दशा में विभाग को हुई क्षति राशि की वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जाना विदित हुआ एव्र प्रकरण पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही पायी गई। प्रमाण पत्र विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित हैं। परीक्षण के आधार पर बाकीदार मैसर्स नेशनल स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0 (NISIC Jaipur), जयपुर को पी.डी.आर. एक्ट की धारा 6 के तहत प्रपत्र नम्बर 3 में नोटिस जारी किया गया। नोटिस के साथ नियमानुसार फॉर्म नं0 2 पर हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र क्रमांक 3557 दिनांक 04.11.10 भी जारी किया गया। नोटिस की तामील दिनांक 12.11.2010 को हुई। तत्पश्चात बाकीदार ने 09.12.10 को दावा खण्डनयाचिका अन्तर्गत धारा 8 (पी.डी.आर. एक्ट 1952) प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.6.2016 द्वारा बाकीदार/आपत्तिकर्ता की दावा खण्डन याचिका अस्वीकार की जाकर प्रकरण में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट मैसर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड एन.एफ./0/2. नेहरू प्लेस टोंक रोड जयपुर जरिये डी.डी. माहेश्वरी वरिष्ठ प्रबन्धक जयपुर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर (वसूली) शहर पूर्व जयपुर दिनांक 15.06.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (वसूली), जयपुर के द्वारा माननीय अतिरिक्त कलेक्टर वसूली जयपुर द्वारा जारी किया गया नोटिस दिनांक 4.11.2010 अन्तर्गत धारा 6 पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट अपीलान्ट नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को 2.11.2010 को प्राप्त हुआ है। इस नोटिस के साथ फार्म नम्बर 2 सर्टिफिकेट आफ पब्लिक डिमाण्ड (डिस्पेच नम्बर 3557 दिनांक 4.11.10) बाबत 7,23,396 /– रूपये एवं ब्याज एवं कॉस्ट की वसूली के लिये प्राप्त हुआ है। इस पर अपीलान्ट नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 9.12.2010 को एतराज अन्तर्गत धारा 8 पिटीशन डिनाईंग लाईबिलिटी पेश की । नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी के नोटिस प्राप्त होने पर दो प्रकार से रेमेडी लेने का प्रावधान है :–

(क) धारा 8 के अन्तर्गत वसूली के दायित्व से पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत मांग वसूली योग्य नहीं है अथवा पब्लिक डिमाण्ड रिवरी अधिनियम के अन्तर्गत मांग कालाबाधि (barred by time) हो चुकी है ।

(ख) अन्तर्गत धारा 20 पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी के अन्तर्गत वसूली के जरिये की गई मांग का दावा करके ही मांग को निरस्त करने या उसमें तरमीम करवाने (मोडिफाई करवाने) और उससे सम्बन्धित अन्य रिलीफ चाहने का कोई प्रार्थना कर सकता है। उक्त प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई पिटीशन डिनाईंग लाईबिलिटी अन्तर्गत धारा 8 ही मान्य न्यायालय द्वारा विचाराधीन है । अपीलान्ट द्वारा धारा 6 में नोटिस पेश होने पर 30 दिवस की अवधि में पिटीशन डिनाईंग लाईबिलिटी पेश की गई है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पीटिशन डिनाईंग लाईबिलिटी नोटिस प्राप्त होने से 30 दिवस में पेश की गई है । धारा 8 पिटीशन डिनाईंग लाईबिलिटी में वर्णितानुसार 2 आधारों पर ही पेश हो सकती है जो अपीलान्ट ने पेश की है । प्रथमतः पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी के अन्तर्गत मांग वसूली योग्य नहीं है । दूसरा : इससे सम्बन्धित वसूली की कार्यवाही की गई है वह काल बाधित हो गई हो । उपरोक्त दोनों तथ्यों बाबत अपीलान्ट का निवेदन है कि जो सर्टिफिकेट आफ पब्लिक डिमाण्ड भेजा गया है उसके कॉलम नम्बर 4 में जो बकाया राशि, ब्याज एवं पीडीआर का ब्याज बताया है वह तारीख 21.6.2003 से बाकी होना बताया है । कॉलम संख्या 5 में अनुबन्ध के अनुसार सप्लाई में अरनेंस्ट मनी के विरूद्ध लिखा गया था परन्तु इस बाबत कोई बकाया होने बाबत सर्टिफिकेट नहीं आया है । कॉलम नम्बर 4 को देखने से स्पष्ट है कि यह मांग की गई राशि 21.6.2003 तक बाकी हो गई थी । इस प्रकार यह सर्टिफिकेट मु0 7,23,396 /– रूपये दिनांक 21.6.2003 को ही बाकी हो गई थी की वसूली के लिये भेजा गया है। इस 21.6.2003 से 3 वर्ष की समाप्ति से पूर्व अपीलान्ट के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही नहीं की गई । इस प्रकार उक्त राशि की मांग अपीलान्ट से 21.6.2003 से 3 साल गुजरने के बाद अर्थात 21.6.2006 के बाद की गई है जो काल बाधित (Time Barred) है एवं जो सर्टिफिकेट भेजा गया है वह तीन वर्ष की अवधि गुजरने के बाद भेजा गया है । इस कारण अपीलान्ट के खिलाफ भेजे गये सटिफिकेट के आधार पर अवधि बाधित (Time barred) हुई राशि की वसूली नहीं की जा सकती। इस कारण सर्टिफिकेट निरस्त किये जाने

योग्य है। अपीलान्ट से कोई वसूली पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की जा सकती है। उक्त कॉलम नम्बर 2 से स्पष्ट है कि वसूली करने के लिये जब कॉन्टेक्ट को तोडा गया (ब्रेक किया) उस दिन से 3 साल के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा सकती थी एवं यह भी स्पष्ट है कि मु० 7,23,396 /– रूपये की राशि 21.6.03 को ही अनुबन्ध के ब्रेक करने के कारण बाकी हो चुकी थी जिससे 3 साल की अवधि में सर्टिफिकेट नहीं भेजा गया । इस मामले में एग्रीमेन्ट 4.12.2000 के अनुसार माल सप्लाई किया जाना था । चूंकि माल की सप्लाई एग्रीमेन्ट के अनुसार नहीं की गई तो मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने पत्र H/G/111 (17700 2000 IM–HP–11/NSIC/2000–3/55/92 Dt-11–2–03 Rs- 7,23,396/– की मांग प्रार्थी से की गई है और सूचित किया है कि उक्त पत्र के जारी करने से 15 दिवस में उक्त राशि जमा करवाई जाये । इस मांग के बारे में रिमाण्डर 1155–66 दिनांक 14.4.2003, 7176–77 दिनांक 27.5.2003, 9438 दिनांक 21.6. 03 एवं 11576 दिनांक 5.7.03 के जरिये भेजा । इसके अलावा 11.2.2004 को प्रबन्ध संचालक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड नई दिल्ली ने सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पत्र लिख कर नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के जयपुर ऑफिस को उक्त राशि जमा करवाने के लिये नोटिस प्रसारित किया। इस प्रकार 11.2.2003 से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग उपरोक्त राशि प्रार्थी नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड से मांगने लगा। इसके बाद 26.8.2004, 12.1.2005, 9.3.2005 प्रार्थी को भेजकर उपरोक्त राशि जमा करवाने की मांग की जो स्पष्टता अवधि बाधित मांग थी। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा प्रार्थी नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के पत्र NSIC/JPR/ RA/3 Dt- 25–2–03 के पत्र के जवाब में पत्रांक 1165–66 दिनांक 10.4.2003 को जवाब दिया कि नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की मांग स्वीकार नहीं है निरस्त कर दी गई और मुबलिग 7,23,396 /– रूपये जमा करवाने के लिये कहा । उक्त रिकवरी के लिये जो सर्टिफिकेट अतिरिक्त कलेक्टर (वसूली) जयपुर ने 4.11.2010 को मुबलिग 7,23,396 /– रूपये एवं ब्याज 21.6.2003 (जो राशि नोटिस में वर्णित नहीं है) की वसूली के लिये जारी किया गया है। यह कि उक्त कॉलम नम्बर 2 से स्पष्ट है कि वसूली करने के लिये जब कॉन्टेक्ट को तोड़ा गया (ब्रेक किया) उस दिन से 3 साल के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा सकती थी एवं यह भी स्पष्ट है कि मु० 7,23,396/– रूपये की राशि 21.6.03 को ही अनुबन्ध के ब्रेक करने के कारण बाकी हो चुकी थी जिससे 3 साल की अवधि में सर्टिफिकेट नहीं भेजा गया। इस मामले में एग्रीमेन्ट 4.12.2000 के अनुसार माल सप्लाई किया जाना था। चूंकि माल की सप्लाई एग्रीमेन्ट के अनुसार नहीं की गई तो मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने पत्र H/G/111 (177002000IM–HP–11/NSIC/2000– 3/55/92 Dt-11–2–03 Rs- 7,23,396 /– की मांग प्रार्थी से की गई है और सूचित किया है कि उक्त पत्र के जारी करने से 15 दिवस में उक्त राशि जमा करवाई जाये । इस मांग के बारे में रिमाण्डर 1155–66 दिनांक 14.4.2003, 7176–77 दिनांक 27.5.2003, 9438 दिनांक 21.6. 03 एवं 11576 दिनांक 5.7.03 के जरिये भेजा । इसके अलावा 11.2.2004 को प्रबन्ध संचालक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड नई दिल्ली ने सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पत्र लिख कर नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के जयपुर ऑफिस को उक्त राशि जमा करवाने के लिये नोटिस प्रसारित किया। इस प्रकार 11.2.2003 से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग उपरोक्त राशि प्रार्थी नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड से मांगने लगा। इसके बाद 26.8.2004, 12.1.2005, 9.3.2005 प्रार्थी को भेजकर उपरोक्त राशि जमा करवाने की मांग की जो स्पष्टता अवधि बाधित मांग थी । जिसके खिलाफ अपीलान्ट ने धारा 8 के अन्तर्गत एक पीटिशन डिनाईंग लाईबिलिटी दिनांक 9.12.2010 को पेश की जिसमें बहस सुनी जाकर दिनांक 15.6.2016 को आक्षेपित आदेश दिया जो निरस्तनीय है। इस प्रकार आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी किये जाने से भी उक्त वसूली की कार्यवाही दूषित हो जाने

सभागीय आयुक्त
जयपुर

से निरस्तनीय है। जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जिला वृत, जल भवन, जयपुर (विभाग) द्वारा मैसर्स नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड एन. एफ./0/2, नेहरू प्लेस टोंक रोड जयपुर जरिये डी.डी. माहेश्वरी वरिष्ठ प्रबन्धक (बाकीदार) को इकरारनामा दिनांक 04.12.2000 के अनुसार विभाग द्वारा निकाली गई मॉग बाकीदार द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार हैण्डपम्प सप्लाई नहीं किये जाने के कारण अन्य फर्म से हैण्डपम्प सप्लाई लेने के उपरान्त विभाग को हुई हानि की राशि है जिसकी वसूली हेतु विभाग द्वारा पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत वसूली हेतु निर्धारित प्रपत्र में मॉगपत्र भिजवाया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थी/विभाग द्वारा अप्राथी/बाकीदार की तरफ निकाली गई वसूली योग्य राशि का न तो तो कोई ठोस तथ्यों एवं कथनों के आधार पर प्रतिवाद ही किया गया है तथा न ही दावा खण्डन याचिका में ऐसा कोई ठोस आधारभूत कथन एवं तथ्य पेश किया है, जो आधार हो सकता हो। पीडीआर एक्ट के इस प्रकरण में मियाद अधिनियम लागू नहीं होता है। अतः विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र पीडीआर एक्ट की धारा 3 को सही पाया गया। जिसके आधार पर बाकीदार/आपत्तिकर्ता की दावा खण्डन याचिका अस्वीकार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (वसूली) जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2016 पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।